पत्रांक–12/नि.3–03/2019 439 /

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

जटा शंकर चौधरी, भा०प्र०से०
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,
झारखंड राज्य में संचालित सभी गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे।

रॉंची, दिनांक 28/02/2020/

विषय :– **झारखंड राज्य गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा (सेवाशर्त) नियमावली, 2020 के गठन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य में संचालित गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए (सेवाशर्त) नियमावली, 2020 गठित करने का निर्णय लिया है। इस हेतु कतिपय वाद भी माननीय उच्च न्यायालय में दायर है।

अतः झारखंड राज्य गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा (सेवाशर्त) नियमावली, 2020 का प्रारूप विभागीय पोर्टल (education.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर आप अपना मंतव्य/आपत्ति इस पत्र के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर विभाग/निदेशालय को उचित माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस नियमावली का गठन किया जा सके।

विश्वासभाजन,

28/02/2020

(जटा शंकर चौधरी)
निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची।

Scanned with CamScanner

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य गैर–सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 2019

संख्या .... झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड राज्य में अवस्थित गैर–सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों हेतु नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

I. यह नियमावली "झारखण्ड राज्य गैर–सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा (सेवा शर्त्त) नियमावली, 2020" कही जाएगी।

II. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

III. यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

अध्याय–2

परिभाषाएँ

2. जब तक कोई बात, विषय संदर्भ न हो इस नियमावली में :–

(i) "नियमावली" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य गैर–सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा (सेवा–शर्त) नियमावली, 2020।

(ii) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य सरकार।

(iii) "विभाग" से अभिप्रेत है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार।

(iv) "परिषद्" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद्।

(v) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के अध्यक्ष।

(vi) "स्थानीय विधायक" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में विधान सभा क्षेत्र जहाँ मदरसा अवस्थित है, के निर्वाचित विधान सभा सदस्य।

Scanned with CamScanner

(vii) ''जिला शिक्षा पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में जिला स्तर विभाग द्वारा पदस्थापित पदाधिकारी।

(viii) ''अनुमण्डल पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में अनुमण्डल स्तर पर राज्य सरकार के द्वारा पदस्थापित पदाधिकारी।

(ix) ''गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसा'' से अभिप्रेत है सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा गैर सरकारी मदरसा जिन्हें सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता हो।

(x) ''प्रबंध समिति'' से अभिप्रेत है झारखण्ड अधिविद्य परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2006 प्रावधानों के अनुरूप गठित समिति।

(xi) ''प्रधान मौलवी'' से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा मदरसों में स्वीकृत प्रधान मौलवी के पद के विरूद्ध नियुक्त शिक्षक, चाहे उसका पदनाम जो भी हो।

(xiii) ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है, मदरसों के लिये सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक।

(xiv) ''शिक्षकेत्तर कर्मचारी'' से अभिप्रेत है, वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पद पर मदरसों के लिये सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत पद के विरूद्ध विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकेत्तर कर्मचारी।

(xv) ''प्रशिक्षण'' से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से समय–समय पर अधिसूचित शर्त्तों एवं बंधेज के अनुसार बी0एड0/डी0एल0एड0 (जो भी लागू होता हो) अथवा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् द्वारा बी0एड0/डी0एल0एड0 के समकक्ष घोषित उपाधि।

(xvi) ''मान्यता प्राप्त प्रशिखण संस्थान'' से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के अस्तित्व में आने की तिथि 17.08.1995 से पूर्व के मामलों में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्विविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त संस्थान।

(xvii) ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति करने हेतु प्राधिकृत किया जाय।

Scanned with CamScanner

(15/79)

अध्याय–3

नियुक्ति एवं प्रोन्नति प्रक्रिया

3. गैर–सरकारी मदरसा के प्रधान मौलवी, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु अर्हताएँ एवं प्रक्रिया निम्नवत् होंगे :–

(i) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता एवं अर्हत्ता :–

(क) न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता परिशिष्ट 01 के अनुसार होगी।

(ख) प्रधान मौलवी, सहायक शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिये विज्ञापन निकाला जायेगा, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु कोटिवार निम्नरुपेण होगीः–

			विकलांग हेतु
i.	सामान्य कोटि	40 वर्ष	45 वर्ष
ii.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	43 वर्ष	48 वर्ष
iii.	अन्य पिछड़ा वर्ग	42 वर्ष	47 वर्ष
iv.	अनुसूचित जाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष
v.	अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला)	45 वर्ष	50 वर्ष

(II) नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(क) मदरसा में किसी रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए प्रबंध समिति की बैठक में यह निर्णय लेना आवश्यक होगा कि उक्त रिक्त पद को नियुक्ति से भरा जाय या मदरसा में कार्यरत अर्हत्ताधारी शिक्षक की प्रोन्नति से। प्रबंध समिति की उक्त बैठक में सदस्यों की संख्या दो–तिहाई के साथ–साथ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे किसी एक सदस्य (जिला शिक्षा पदाधिकारी अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी) का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(ख) प्रबंध समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार मदरसा के प्रधान मौलवी –सह– समिति सचिव नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु परिषद् से विज्ञप्ति प्रकाशन करने पर अनुमति प्राप्त करेगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए विज्ञापन प्रारुप पर परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस प्रारुप में अन्य बातों के साथ–साथ विज्ञापित पद का नाम और प्रकार, अपेक्षित अर्हताएँ, योग्यता और अन्य संबंधित विशिष्टयाँ विनिर्दिष्ट रहेंगी।

Scanned with CamScanner

(ग) नियुक्ति के लिए प्रकाशित होनेवाले विज्ञापन को एक हिन्दी तथा एक उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा। विज्ञप्ति का प्रकाशन उसी अनुरुप किया जाएगा, जिसका प्रारुप परिषद् से अनुमोदित कराया गया है।

(घ) नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता का मेधांक तैयार किया जायेगा एवं साक्षात्कार में प्रमाण-पत्रों के जाँचोपरांत सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशी की नियुक्ति हेतु नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई प्रारम्भ की जा सकेगी।

(ङ.) समिति कम-से-कम एक माह की नोटिस देकर साक्षात्कार के लिए ऐसे प्रत्याशियों को बुलायेगी जो अर्हता प्राप्त हो।

(च) मदरसों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित पद या उसके समकक्ष शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार तैयार करने में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधांक की निम्नवत् गणना कर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

क्र0 सं0	परीक्षा एवं प्राप्तांक		उत्तीर्णता प्रतिशत	अंक
01.	**मैट्रिक या उसके समकक्ष**			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
02.	**इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष**			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
03.	**शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा**			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक

Scanned with CamScanner

			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	

(छ) मदरसों में स्नातक प्रशिक्षित पद या उसके समकक्ष शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधांक की गणना निम्नवत् कर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

क्र० सं०	परीक्षा एवं प्राप्तांक		उत्तीर्णता प्रतिशत	अंक
01.	मैट्रिक या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
02.	इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
03.	स्नातक या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
04.	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक

Scanned with CamScanner

			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	

(ज) मदरसों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पद या उसके समकक्ष शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने में शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधांक की गणना निम्नवत् कर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

क्र0 सं0	परीक्षा एवं प्राप्तांक		उत्तीर्णता प्रतिशत	अंक
01.	मैट्रिक या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
02.	इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
03.	स्नातक या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
04.	स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक

Scanned with CamScanner

			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
05.	शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	

(झ) मदरसों में लिपिक या समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधांक की गणना निम्नवत् कर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

क्र0 सं0	परीक्षा एवं प्राप्तांक		उत्तीर्णता प्रतिशत	अंक
01.	मैट्रिक या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	
02.	इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	

(ञ) मदरसों में आदेशपाल या समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची तैयार करने में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मेधांक की गणना निम्नवत् कर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

Scanned with CamScanner

क्र0 सं0	परीक्षा एवं प्राप्तांक		उत्तीर्णता प्रतिशत	अंक
01.	**मैट्रिक या उसके समकक्ष**			
	द्वितीय श्रेणी एवं उससे ऊपर	–		05 अंक
			60% से 65% तक	01 अंक
			65% से अधिक एवं 70% तक	02 अंक
			70% से अधिक एवं 75% तक	03 अंक
			75% से अधिक एवं 80% तक	04 अंक
			80% से अधिक	05 अंक
			कुल अंक – (5+5) 10 अंक	

iii. मेधा सूची निर्माण एवं साक्षात्कार अधोलिखित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। इस प्रक्रिया में निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन समिति द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) किसी भी पद के चयन में कम से कम 5 आवेदकों को सम्मिलित होना अनिवार्य है।

(ख) प्रबन्ध समिति चयन के लिए नियमानुसार एक चयन समिति गठित करेगी।

iv. चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जायेगा।

(क) समिति में नामित परिषद् सदस्य
(ख) अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा मनोनीत विषय विशेषज्ञ शिक्षक।
(ग) अनुमंडल पदाधिकारी या उनके द्वारा नामित पदाधिकारी, जो उप समाहर्त्ता से न्यून नहीं हो।
(घ) जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनोनीत राजपत्रित पदाधिकारी
(ड.) प्रबंध समिति के सचिव।

v. चयन समिति द्वारा चयनित व्यक्ति के नाम पर प्रबंध समिति द्वारा विचार किया जायेगा और नियमानुसार पाए जाने पर समिति अपनी अनुशंसा एवं आवश्यक अभिलेख के साथ प्रस्ताव जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

vi. जिला शिक्षा पदाधिकारी समिति से प्राप्त प्रस्ताव पर नियमों के आलोक में जाँच कर अपने स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रस्ताव परिषद् को उपलब्ध करायेगें।

vii. झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और नियमानुकूल पाए जाने पर नियुक्ति की अनुशंसा

Scanned with CamScanner

प्रबंध समिति को जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। ।

viii. परिषद् से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत संबंधित प्रबंध समिति के सचित द्वारा अधिकतम एक पखवारे के अंतर्गत नियुक्ति पत्र निर्गत कर परिषद् को संसूचित किया जायेगा।

ix. नियुक्ति दो वर्षो की अवधि के लिये परिवीक्षा पर की जायेगी। यदि परीक्ष्यमाण व्यक्ति का कार्य और आचरण परिवीक्षा की अवधि में संतोषप्रद पाया जाय तो समिति उसे दो वर्षो की अवधि के अन्त में संपुष्ट कर देगी। यदि समिति की राय में सम्बद्ध व्यक्ति का कार्य और आचरण संतोषप्रद नहीं हो तो परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पहले समिति यह विनिश्चय करेगी कि परिवीक्षा की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी जाय या सेवा समाप्त कर दी जाय।

x. झारखण्ड राज्य में अवस्थित गैर–सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में सरकार द्वारा स्वीकृत बल के विरुद्ध नियुक्ति व्यक्तियों को सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतन अनुदान देय होगा।

xi. शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मचारी 60 वर्ष की उम्र हो जाने पर स्वतः सेवा निवृत हो जायेगा।

अध्याय–4
प्रोन्नति

4. प्रोन्नति हेतु निम्नवत् नियमों का अनुपालन किया जायेगा :–

(i) समिति किसी पद को अपने ही शिक्षकों के बीच से प्रोन्नति देकर भरने का विनिश्चय करें तब वह इस प्रयोजनार्थ, विशेष रुप से बुलाई गई साधारण बैठक में सभी पात्र शिक्षकों के मामले पर वरीयता को ध्यान में रखते हुए विचार करेगी। इसके बाद अर्हताधारी उम्मीदवारों की नामिका तैयार करने और सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया यथा उपर्युक्त नियमों का पालन करते हुए प्रस्ताव सचिव/अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् को उपलब्ध करायेगी।

(ii) प्रोन्नति के द्वारा नियुक्ति हेतु भी उन सभी नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा जो सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली द्वारा निर्धारित है।

Scanned with CamScanner

144/72

अध्याय–5

अन्यान्य

(i) इस नियमावली के अन्तर्गत होने वाली सभी प्रकार की नियुक्ति एवं प्रोन्नति में झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा तथा नियुक्ति में आरक्षण का लाभ झारखण्ड सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगा। झारखण्ड सरकार द्वारा लागू क्षैतिज आरक्षण प्रावधान भी नियमानुसार लागू होंगे।

ii. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सेवा संहिता, झारखण्ड सिविल सेवाएँ वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये सुसंगत प्रावधानों के तहत् की जाएगी।

iii. इस नियमावली के नियम 3 एवं 4 में उल्लेखित सभी श्रेणियों में नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत सुसंगत परिपत्रों के तहत देय होगा। अवकाश की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् होंगे :–

क्र० सं०	शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी की श्रेणी	अवकाश का स्वरूप	स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
क	प्रधान मौलवी	आकस्मिक अवकाश	अध्यक्ष, प्रबंध समिति
		अन्य देय अवकाश	जिला शिक्षा पदाधिकारी
ख	शिक्षक	आकस्मिक अवकाश	प्रधान मौलवी
		अन्य देय अवकाश	जिला शिक्षा पदाधिकारी
ग	शिक्षकेत्तर कर्मचारी	सभी तरह के देय अवकाश	प्रधान मौलवी

iv. इस नियमावली के नियम 3 में उल्लिखित प्रधान मौलवी, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी की सहमति से वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्गत संगत संकल्प/आदेश पत्र/परिपत्र के आलोक में किया जायेगा।

v. सभी श्रेणियों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का संधारण एवं प्रविष्टी प्रधान मौलवी द्वारा किया जायेगा। प्रधान मौलवी की सेवा पुस्तिका का संधारण एवं प्रविष्टी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

vi. इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐसी कार्रवाई या आदेश

Scanned with CamScanner

143 / 71

पारित कर सकेगी, जो आवश्यक प्रतीत होता हो तथा ऐसी की गयी कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जायेंगे।

vii. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत सभी नियमावली/संकल्प/आदेश निरसित माने जायेंगे। परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित संकल्प/आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

प्रधान सचिव/सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखण्ड सरकार

16/12

16.12.2018

Scanned with CamScanner

142/70

परिशिष्ट – 01

मदरसों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं अर्हता।

क्रम सं0	पद	अर्हता
01	प्रधान मौलवी (सभी स्तर)	मदरसों में कार्यरत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक से वरीयता के आधार पर, जिन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा में कम–से–कम 10 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, से प्रोन्नति के आधार पर नियुक्ति की जा सकेगी। वरीयता के आधार पर प्रधान मौलवी के लिए उपयुक्त पात्र नहीं होने की स्थिति में सीधी नियुक्ति द्वारा इस पद पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक जिन्हें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा में कम–से–कम 07 वर्षो का शिक्षण अनुभव अनिवार्य होगा। प्रधान मौलवी पद पर सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होगी परंतु यह कि कार्मिक प्रशासनिक विभाग के प्रावधान के आलोक में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, विकलांग) को तदनुरूप आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।
02	फाजिल/आलिम नवीन (सभी स्तर)	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ फाजिल की डिग्री (अरबी या उर्दू या फारसी विषय में) एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। **अथवा** राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या विश्वविद्यालय आयोग या बोर्ड से संबंधित विषय जिसमें नियुक्ति होनी है, में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को उक्त न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।
03	आलिम पुराना/मौलवी नवीन (सभी स्तर)	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से 50 प्रतिशत अंकों के साथ आलिम की डिग्री (अरबी या उर्दू या फारसी विषय में) एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। **अथवा** राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किसी विश्वविद्यालय से अरबी या उर्दू अथवा फारसी के साथ 50 प्रतिशत अंकों से स्नातक डिग्री एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी0एड0 में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में उक्त न्यूनतम प्राप्तांक मे 05 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।

Scanned with CamScanner

(141) 69

04	फौकानियाँ नवीन (सभी स्तर)	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मौलवी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से D.El.Ed प्रशिक्षित एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित सुसंगत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से 50 प्रतिशत अंक के साथ इंटरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से (D.El.Ed) प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता भी अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में उक्त न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।
05	स्नातक प्रशिक्षित (सभी स्तर)	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय में 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक डिग्री एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से बी०एड० में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थी को उक्त न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।
06	इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं मैट्रिक प्रशिक्षित (सभी स्तर)	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से 50 प्रतिशत अंक के साथ इंटरमीडिएट एवं मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से (D.El.Ed) प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के सुसंगत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता भी अनिवार्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में उक्त न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत की छूट अनुमान्य होगी।
07	हाफिज (सभी स्तर)	राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के किसी विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से अरबी या उर्दू अथवा फारसी में इंटरमीडिएट की योग्यता एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त हाफिज की उपाधि।
08	लिपिक (सभी स्तर)	लिपिकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता वही होगी, जो समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। अन्य योग्यता समान रहने की स्थिति में कम्प्यूटर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु एवं सेवानिवृति की उम्र वही होगी जो कार्मिक विभाग द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।
09	आदेशपाल (सभी स्तर)	आदेशपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता वही होगी, जो समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी। नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु एवं सेवानिवृति की उम्र वही होगी जो कार्मिक विभाग द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

प्रधान सचिव/सचिव

Scanned with CamScanner